"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2014—— ज्येष्ठ 22, शक 1936

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-167/दो-गृह/रापुसे/2004.—— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,-

1. नियम 1 के उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
"ये नियम छत्तीसगढ़ न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (अराजपत्रित अलिपिकीय) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2007 कहलायेंगे."

2. नियम 1 के उप-नियम (2) के पश्चात्, शीर्षक परिभाषायें के ठीक पूर्व अंक एवं चिन्ह "2." अन्त:स्थापित किया जाये.

3. नियम 2 के खण्ड (क) में, शब्द "निदेशक" के स्थान पर, शब्द "संचालक" प्रतिस्थापित किया जाये.

4. नियम 7 में, शब्द "सरकार" के स्थान पर, शब्द "संचालक न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F 3-167/Two-Home/SPS/2004. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For sub-rule (1) of rule 1, the following shall be substituted, namely :-

"(1) These rules may be called the Chhattisgarh Forensic Science Laboratory (Non-Gazetted Non-Ministerial) Class-III Service Recruitment Rules, 2007."

2. In rule 7, for the word "Government", the words "Director, Forensic Science Laboratory, Raipur" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.